रजिस्ट्रेशन सं. डी. एल.—33004/96 REGN. NO. D. L.—33004/96

18

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 178] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 28, 1996/ज्येष्ठ 7, 1918
No. 178] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 28, 1996/JYAISTHA 7, 1918

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 1996

सा. का. नि. 228(अ):— अंडमान निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 186 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीपसमूह (सेवा शर्तें तथा अन्य प्रावधान) नियमावली, 1995 के लिए वित्त आयोग को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीपसमूह (सेवा शर्तें तथा अन्य विविध प्रावधान) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 1996 के लिए वित्त आयोग कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह (सेवा शर्तें तथा अन्य विविध प्रावधान) नियमावली, 1995 के लिए वित्त आयोग में नियम 7 में उपनियम (2) के लिए निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाए; अर्थात् :—

"(2) अध्यक्ष तथा सदस्य को क्रमशः 8000/-रु. तथा 7500-रु. प्रतिमाह का निर्धारित वेतन दिया जाएगा;

परन्तु यह कि यदि कोई सदस्य एक सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी है तो उसे उसके अन्तिम वेतन के बराबर एक निश्चित वेतन (मंहगाई भत्ते समेत) अनुमत्य होगा :

परन्तु यह भी कि यदि अध्यक्ष अथवा आयोग का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन पहले किसी सेवा के लिए पेंशन (अयोग्यता अथवा घायल पेंशन के अतिरिक्त) प्राप्त कर रहा है तो आयोग में सेवा के संबंध में उसका निर्धारित वेतन उस पेंशन की राशि के बराबर कम कर दिया जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि कोई सदस्य आयोग में अंशकालिक सेवा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो उसे 4000/-रु. प्रतिमाह की निर्धारित फीस दी जाएगी"।

[फा.सं.यू.-11022/1/94-यू.टी.एल.]
राजीव आर. शाह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:— प्रधान नियम सा. का. नि. 626 (ई) दिनांक 8-9-95 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तदोपरान्त 12-1-96 के सा. का. नि. 28 (ई) के द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 1996

GSR 228(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 186 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) Regulation, 1994, the President hereby makes the following rules, further to amend the Finance Commission for the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditons of Service and other Miscellaneous Provisions) Rules, 1995, namely :—

1. (1) These rules may be called the Finance Commission for the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditons of Service and other Miscellaneous Provisions) (Second Amendment) Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Finance Commission for the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and other Miscellaneous Provisions) Rules, 1995, in rule 7, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) The Chairman and Member shall be paid a fixed salary of Rs. 8,000/- and Rs. 7,500/ respectively per month:

Provided that if a member happens to be a retired Goverment servant, he shall be allowed a fixed salary (inclusive of Dearness Allowance) equal to the last pay drawn:

Provided further that if the Chairman or any Member of the Commission, at the time of his appointment, is in receipt of pension (other than disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of a State, his fixed salary in respect of service in the Commission shall be reduced by the amount of that pension:

Provided also that if a Member is appointed to render part-time service to the Commission, he shall be paid a fixed fee of Rs. 4,000 per month.

[F.No. U-11022/1/94-UTL]
RAJEEVA R. SHAH, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 626(E) dated 8-9-95 and subsequently amended vide number GSR 28(E) dated 12-1-96.

रजिस्ट्रेशन सं. डी. एल.—33004/96

REGN. NO. D. L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 178] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 28, 1996/ज्येष्ठ 7, 1918
No. 178] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 28, 1996/JYAISTHA 7, 1918

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 1996

सा. का. नि. 228(अ):— अंडमान निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 186 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीपसमूह (सेवा शर्तें तथा अन्य प्रावधान) नियमावली, 1995 के लिए वित्त आयोग को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीपसमूह (सेवा शर्तें तथा अन्य विविध प्रावधान) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 1996 के लिए वित्त आयोग कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह (सेवा शर्तें तथा अन्य विविध प्रावधान) नियमावली, 1995 के लिए वित्त आयोग में नियम 7 में उपनियम (2) के लिए निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाए; अर्थात् :—

"(2) अध्यक्ष तथा सदस्य को क्रमशः 8000/-रु. तथा 7500-रु. प्रतिमाह का निर्धारित वेतन दिया जाएगा;

परन्तु यह कि यदि कोई सदस्य एक सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी है तो उसे उसके अन्तिम वेतन के बराबर एक निश्चित वेतन (मंहगाई भत्ते समेत) अनुमत्य होगा :

परन्तु यह भी कि यदि अध्यक्ष अथवा आयोग का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन पहले किसी सेवा के लिए पेंशन (अयोग्यता अथवा घायल पेंशन के अतिरिक्त) प्राप्त कर रहा है तो आयोग में सेवा के संबंध में उसका निर्धारित वेतन उस पेंशन की राशि के बराबर कम कर दिया जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि कोई सदस्य आयोग में अंशकालिक सेवा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो उसे 4000/-रु. प्रतिमाह की निर्धारित फीस दी जाएगी"।

[फा.सं.यू.-11022/1/94-यू.टी.एल.]
राजीव आर. शाह, संयुक्त सचिव